राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
*****

क्रमांकः प॰ 17(30)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांकः 15 FEB 2019

1. समस्त जिला कलक्टर्स,
   राजस्थान।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
   राजस्थान।

विषय :– प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा, 2019 के सुचारू संचालन बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 14.03.2019 से 27.03.2019 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2019 (कक्षा–8) राज्य के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोज्य हैं। परीक्षा के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिये प्रत्येक जिलों में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। इन परीक्षा केन्द्रों पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के साथ–साथ प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2019 (कक्षा–8) भी द्वितीय पारी में (02:00PM से 04:30PM तक) होनी है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयानुसार प्रश्न पत्र सुरक्षा एवं अन्य परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान, अजमेर की परीक्षाओं के समान ही सुनिश्चित करावें। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) मुख्यालय एवं प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस संबंध में नोडल अधिकारी होंगे।

परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए समुचित सुरक्षा मुहैया कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. दिनांकः 08 मार्च, 2019 से 09 मार्च, 2019 के दरम्यान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से प्रश्न पत्र जिला मुख्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) मुख्यालय द्वारा बतौर प्राधिकृत अधिकारी एवं मनोनीत सह–प्रभारी द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त करना।
2. दिनांकः 11 मार्च, 2019 को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) द्वारा परीक्षा केन्द्राधीक्षकों को प्रश्न पत्र वितरण करना।
3. दिनांकः 7 मार्च, 2019 से 12 मार्च, 2019 के मध्य प्रश्न पत्रों की समुचित व्यवस्था हेतु कोषागार/पुलिस लाईन/पुलिस थाना/अन्य स्थान पर प्रश्नपत्र रखवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. प्रश्नपत्र वही रखे जाने वाले परीक्षा केन्द्रों पर तथा प्रधानाचार्य, डाईट द्वारा निर्धारित अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षाबल मुहैया कराना।
5. परीक्षा संपन्न होने के पश्चात् उत्तरपुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से संग्रहण केन्द्रों तक पहुँचाना।

भवदीय

www.rajteachers.com

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय)।
4. रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव